

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 मार्च 2015 — फाल्गुन 28, शक 1936

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर — 492001

रायपुर, दिनांक: 19 मार्च, 2015

शुद्धिपत्र

क्र. 64/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2015 — छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता तथा राज्यांतरिक मुक्त सुगम्यता) प्रथम संशोधन-विनियम, 2012 को अधिसूचना क्रमांक 58/छ.रा.वि.नि.आ./2014 दिनांक 16 जनवरी 2014 द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

(1) उक्त विनियम के बिन्दु क्रमांक 5 के प्रथम पैरा में उल्लेखित है :-

“खंड 12 का संशोधन— मूल विनियम के खंड 12, के उपखंड (2) में, परंतुक के पहले पैरा के “समस्त आवेदक मुक्त सुगम्यता चाही गई है” के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :-”

उपरोक्त कण्डिका के प्रथम पैरा को मूलतः निम्नानुसार परिमार्जित किया जाता है :-

“खण्ड 12 का संशोधन – मूल विनियम के खण्ड 12 के उपखण्ड (2) में परंतुक के पहले पैरा के “सुगम्यता की मांग करने वाले समस्त आवेदक.....
..... पारस्परिक अनुबंध पहले से नहीं किया गया है।” के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये:-”

(2) उक्त विनियम के बिन्दु क्रमांक 6 को मूलतः विलोपित किया जाता है।

आयोग के आदेश से

(पी.एन. सिंह)
सचिव